न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 35/2010 G.C.M.S. No. 2010/00029 दर्ज दिनांक : 29.10.2010

अपीलार्थिगण:

1. हरीसिंह पुत्र चतुर्भुजसिंह
2. भवानीसिंह पुत्र ज्ञानसिंह
3. नन्दुदेवी बेवा ज्ञानसिंह, जातिगण रावणा राजपूत नरावत, निवासीगण रास, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सरदारसिंह पुत्र चतुर्भुजसिंह जाति राजपूत के कायम मुकाम:–
   1/1 चन्द्रकान्ता उर्फ चन्दूकंवर पत्नि स्व. सरदारसिंह
   1/2 राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. सरदारसिंह
   1/3 रेखा पुत्री स्व. सरदारसिंह
   1/4 सरोज पुत्री स्व. सरदारसिंह
   1/5 इन्द्रसिंह पुत्र फौत निवासीगण रास, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
2. लालीबाई पुत्री चतुर्भुज, पत्नि उम्मेदसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी मित्र नगर, रातीडांग वैशाली नगर, अजमेर, जिला अजमेर।
3. मंजू कंवर पुत्री चतुर्भुज, पत्नि जितेन्द्र सिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी मीरा बाई मंदिर के पास काली घाटी, मेड़ता सिटी, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर।
4. सुमनकंवर पुत्री चतुर्भुज पत्नि होशियार सिंह, जाति रावणा राजपूत मार्फत रिटायर्ड थानेदार मानसिंह चौहान गली नंबर 3 जमालपुरा ब्यावर, पोस्ट ब्यावर, तहसील ब्यावर व जिला ब्यावर।
5. रणजीतसिंह पुत्र चतुर्भुज
6. सुमित्रा पुत्री ज्ञानसिंह
7. टिकमसिंह पुत्र मदनसिंह
   केशरसिंह फौत कायम मुकाम:–
8. जयसिंह पुत्र केशरसिंह
9. राजेन्द्रसिंह पुत्र केशरसिंह
10. कंचनदेवी पुत्री केशरसिंह
11. सरला पुत्री केशरसिंह
12. रतनकंवर बेवा केशरसिंह
13. नंदसिंह पुत्र गुमानसिंह
14. भोपाल पुत्र गुमानसिंह
    गोपाल पुत्र गुमानसिंह फौत के वारिसान:–
15. विजयसिंह पुत्र गोपाल
16. राजेन्द्रसिंह पुत्र गोपाल
17. मुकेशसिंह पुत्र गोपाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

18. सुनीता पुत्री गोपाल
19. गीता देवी बेवा गोपाल
    शेरसिंह फौत होने पर कायम मुकाम:–
20. संतोषदेवी बेवा शेरसिंह सभी जातिगण रावणा राजपूत, निवासीगण रास, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/1997 बअनवान सरदारसिंह वगैरह बनाम रणजीतसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2010

पैरोकार–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री श्रवणसिंह चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 29.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/1997 बअनवान सरदारसिंह वगैरह बनाम रणजीतसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2010 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण अपीलांट्स संख्या 1 से 3 के विरूद्ध पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे की जमीन सरहद मौजा रास प्रथम में खसरा नंबर 16 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 149 मिन रकबा 8 बीघा कुल जमीन 21 बीघा 7 बिस्वा आराजी के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि बंटवाडा के वाद में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित तहसीलदार से कानूनन कराई जाना न्यायसंगत है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल ने भी अपने कई निर्णयों में प्रतिपादित किया है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में खातेदारों के बंटवाड़ें की कार्यवाही संबंधित तहसीलदार पक्षकारों को विधिवत नोटिस देकर व उनसे बंटवाड़ें के प्रस्ताव प्राप्त कर खातेदारों की सहमति होने पर तथा सहमति न होने पर संबंधित तहसीलदार भूमि की प्रकृति के अनुसार पक्षकारों के मध्य उन्हें बंटवाड़ें की दिनांक को विधिवत नोटिस देकर व उनकी उपस्थिति में बंटवाड़ा की कार्यवाही करेगा। इसी प्रकार प्राथमिक डिक्री की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पालना की जाएगी। उक्त पालना के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पक्षकारों को सुनकर पारित की जाएगी। किंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धांत की अवहेलना करते हुए हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई एकपक्षीय बंटवाड़ा रिपोर्ट को रेकर्ड पर लेकर विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर दी। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 8 गोपाल की मृत्यु की जानकारी रेकर्ड पर होने के बावजूद भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर दी। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट प्रतिवादी द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री की पालना में बनाई गई बंटवाड़ा रिपोर्ट पर अपीलांट द्वारा या उसके अधिवक्ता द्वारा कोई सहमति प्रदान नहीं की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की व उसके अधिवक्ता की लिखित सहमति के बिना स्वविवेक से अपीलांट की सहमति देने के आधार पर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जो कि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर दिनांक 17.08.2009 को निर्णित व प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार जैतारण को राजीनामा व प्राथमिक डिक्री के अनुरूप मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा पर खाता व लगान पृथक–पृथक कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।
2. पत्रावली पर उपलब्ध कथित विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में संबंधित हल्का पटवारी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया। हल्का पटवारी रास प्रथम द्वारा कथित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तहसीलदार जैतारण को संबोधित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया। जिसे तहसीलदार जैतारण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अग्रेषित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

3. राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सहखातेदारान को सूचित करते हुए तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाना चाहिए। लेकिन हस्तगत प्रकरण में उक्त आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं तैयार नहीं कर अपने अधीनस्थ पटवारी से तैयार करवाया गया। तहसीलदार को ऐसा किये जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। तहसीलदार के लिए उक्त प्रावधानों का अनुपालन करना आज्ञापक है। वह अपने उक्त आज्ञापक पदीय कर्तव्यों को अपने अधीनस्थ कार्मिकों को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। अतः उक्त विभाजन प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किये जाने से विधि विरूद्ध तथा अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। जो विधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हुए पारित करने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/1997 बअनवान सरदारसिंह वगैरह बनाम रणजीतसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2010 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

18 से 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए मुताबिक राजीनामा व प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 24.11.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर, जैतारण में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डा0 भास्कर त्रिवेदी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner